न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

उपस्थित–रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (JO CODE–UP 3725)

फौज० मुकदमा संख्या–727/2024

कंप्यूटर पंजीकरण सं०–165/2020

CNR NO.–UPLP 1200 1724 2020

राज्य

बनाम

महावीर उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम रहीमपुर, थाना–उचौलिया/पसगवां, जिला–खीरी।

... ... .अभियुक्त।

मु०अ०सं०–20/2012
अं०धारा–60(2) आबकारी अधिनियम
थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी।

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–20/2012, अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के अधीन अभियुक्त महावीर के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "दिनांक 05.01.2012 की रात्रि को मैं एस०आई० मंजेश यादव वास्ते रात्रि ड्यूटी चेकिंग रात्रि विकेट चेकिंग तलाश वारण्टी वांछित अपराधी देखभाल क्षेत्र गस्त में मामूर था कि जरिए मुखविर सूचना मिली कि ग्राम रहीमपुर में महावीर नामक व्यक्ति कच्ची शराब नाजायज बना रहा है, इस सूचना पर विश्वास कर क्षेत्र से कां० 540 कृष्ण कुमार व कां० 834 अंतराम राम वर्मा को हमराह लेकर साथ मुखविर लेकर ग्राम रहीमपुर आया। नावक्त के कारण जनता के गवाह न मिल सके। रहीमपुर ग्राम से बाहर मोटर साइकिलें खड़ी कर दूर से इशारा कर मुखविर वापस चला गया। उसने दूर से ही उस घर की तरफ इशारा किया उस घर की ओर हम पुलिस वाले दबे पांव छप्पर के पास पहुंचकर छिपकर देखा कि एक व्यक्ति चूल्हे की आग को तेज कर रहा है। चूल्हे के ऊपर टीन का पीपा, पीपे के ऊपर एक पतीली चढ़ी है जिसके ऊपर एक मिट्टी की पतीली से एक प्लास्टिक की नलकी पास में रखी पिपिया में लगी है, कच्ची शराब की बू आ रही है। पूर्ण विश्वास होने पर हम पुलिस वालों ने एक बारगी दबिश देकर मौके पर ही समय करीब सुबह 04 बजे शराब निकालते व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम महावीर पुत्र राम सिंह निवासी रहीमपुर थाना पसगवां, खीरी बताया। जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिये एक प्लास्टिक की पिपरिया में करीब 10 लीटर द्रव पदार्थ भरी हुई बरामद हुई पिपिया के मुंह को सूंघा व हमराहियान को सुंघाया जिसमें कच्ची शराब की बू आ रही है। पास में पड़े ढक्कन से पिपिया को बंद कर कपड़े से सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा मौके पर पड़ी शीशी

में खोलते लहन से गरम–गरम लहन को बतौर नमूना लिया। शीशी के ढक्कन को बंद कर सील सर्व मुहर किया। शराब बनाने वाले व्यक्ति से शराब बनाने–बेचने का लाइसेंस मांगा गया तो दिखाने से कोसिर रहा। अभि० के कृत्य धारा 60(2) Ex.Act जुर्म से अवगत करा कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई। धारा 41(A) सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत पुनः अपराध करने की संभावना के कारण गिरफ्तारी मौके पर की गई। अभि० की गिरफ्तारी की सूचना अभि० के पिता राम सिंह को मौके पर दी गई। चूल्हे की आग पतीले के पानी व लहन में बुझाया गया, लहन व चूल्हे को नष्ट किया गया। टोर्च की रोशनी में फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर, सुनकर अलामात हमराहियान व अभियुक्त बनवाई जा रहे हैं।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना की गयी तथा गवाहन के बयानात अंकित किए गए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त महावीर के विरुद्ध धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त महावीर न्यायालय में हाजिर आया एवं उसके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्त को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। दिनांक 06.06.2026 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

दिनांक 22.06.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलत फंसा दिया है। मुकदमा गलत चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि मुझे और कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 27.06.2014 को आरोप विरचित किया गया, तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर साक्ष्य हेतु नियत रही, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जो भी साक्षी हैं, पुलिस कर्मचारीगण हैं। साक्षियों की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा आदेशिकाएं जारी की गयीं, परन्तु उसके पश्चात् भी अभियोजन द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये, उसके उपरान्त भी अन्य किसी भी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त लगभग 12 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है, अभियुक्त को अत्यन्त मानसिक एवं आर्थिक हानि हो रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Imtiyaz Ahmad v. State of Uttar Pradesh and Ors., (2012) 2 SCC 688** के मामले में यह प्रेषित किया है कि "It was observed that long delay has the effect of blatant violation of rule of law and adverse impact on access to justice which is a fundamental right. Denial of this right undermines public confidence in justice delivery.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शीघ्र विचारण अभियुक्त का नैसर्गिक अधिकार है। प्रस्तुत वाद में लगभग 12 वर्षों तक पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत रही। अभियोजन के उच्चाधिकारियों को भी पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही साक्षी प्रस्तुत न करने का कोई कारण ही बताया गया। अतः उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में लगभग 12 वर्षों तक पत्रावली साक्ष्य में नियत रहने के पश्चात् अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

उपरोक्त मामले में अभियोजन के द्वारा तथ्य के किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद फर्द को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही माल बरामदगी को साबित किया गया है। अभियोजन द्वारा आरोपपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, जी०डी० कायमी आदि को भी साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये धारा–60(2) आबकारी अधिनियम के आरोप को युक्ति–युक्त एवं संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है। अतः अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त महावीर को मु०अ०सं०–20/2012, आरोप अंतर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम, थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी के दण्डनीय अपराध के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके पूर्व में दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अभियुक्त के पास से बरामद माल बाद मियाद अपील, यदि वांछित न हो तो नियमानुसार निस्तारित हों।

दिनांकः 20.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 20.07.2026

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO CODE–UP 3725)